

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्दादाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाडा
कैम्प कोर्ट भावी

व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी

बनाम

प्रतिवादी

जरनेल सिंह पुत्र टीलाराम

राजस्थान सरकार जरिये

जाति सीरवी निवासी भावी

तहसीलदार बिलाडा

तहसील बिलाडा

जिला-जोधपुर

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

राजस्व वाद संख्या :- 56/2016

निर्णय

दिनांक :- 19.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी- सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर ग्राम ग्राम भावी (एस.वी.) की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 737 रकबा 5 बीघा 12 बिस्वा तथा ग्राम भावी (जे.बी.) तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 3995 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा में दर्ज नारायणराम पुत्र टीलाराम के स्थान पर जरनेलसिंह पुत्र टीलाराम की खातेदारी की घोषित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

तीज - मुबलिया - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व भारह - सालाना आज की तारीख में तारीख दस्तुन्याबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.06.2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमि नर			फीस कमि नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फाम पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकर के जारिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा